



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02022022-233060
CG-DL-E-02022022-233060

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402]
No. 402]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 2022/माघ 12, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 2022/MAGHA 12, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

का.आ. 417(अ)—केंद्र सरकार, नाविक भविष्य निधि योजना, 1966 के पैरा 3 के उप-पैरा (2) के साथ पठित नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) की धारा 5 की उप-धारा (3) के खंड (बी) और (सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 19 अक्तूबर, 2020 के का.आ. 3663 (ई) के तहत भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है नामतः-

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 7 और उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि विशेष रूप से प्रतिस्थापित की जाए नामतः-

“7. श्री मनीष वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय पोतस्वामी संघ के प्रतिनिधि”

[फा. सं. एसटी- 15013/1/2006- एमटी/एम.ए.(खंड II)]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर, 2019 की संख्या का.आ. 4609 (ई) के तहत प्रकाशित की थी। इस अधिसूचना को दिनांक 19 अक्तूबर, 2020 की संख्या का.आ. 3663 (ई) के तहत और संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th January, 2022

S.O. 417(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of sub-section (3) of section 5 of the Seamen's Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966) read with sub-paragraph (2) of paragraph 3 of the Seamen's Provident Fund Scheme, 1966, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Ports, Shipping & Waterways number vide S.O. 3663 (E) dated the 19th October, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

2. In the said notification, for serial number 7 and entry relating thereto, the following serial number and entry shall in particular be substituted, namely:-

"7. Shri Manish Verma, Representative of Indian National Shipowners' Association"

[F. No. ST-15013/1/2006-MT/M.A.(Vol.II)]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.

NOTE: The principal notification was published vide number S.O.4609(E) dated the 19th December, 2019. The notification was further amended vide number S.O. 3663 (E) dated 19th October, 2020.